तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र बाबत :– अर्न्तगत धारा 212 आरटीएक्ट बअनुवान :– रेषम बनाम पदमा व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ

पीठासीन अधिकारी
श्रीमती रतन कौर , आर.ए.एस.

उपस्थिति –

श्री कैलाषसिंह भाटी

–: आदेष :–

दिनांक :– 28/4/25

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैकि ग्राम कांकरदा भूणाभाय की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2065–2084 के अनुसार जरिये नामान्तकरण संख्या 42 दिनांक 10.01. 2014 के अनुसार ग्राम कांकरदा भूणाभाय के खसरा नम्बर 905 रकबा 0. 09 हैक्टयर, 907 रकबा 0.05 हैक्टयर,, 908 रकबा 0.04 हैक्टयर भूमि में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी 1 से 18 की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थया ने यह भूमि खातेदार अनील राज याफिन पुत्र एल0 याफिन जाति सांई जिसके मुख्त्यारआम आलम शेर पुत्र मस्ती खां जाति मुसलमान से जरिये पंजीकृत दस्तावेज दिनांक. 17.12.2013 से कय कर कब्जा प्राप्त किया है। भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 से 18 की संयुक्त खातेदारी में है जिसका बंटवारा नहीं हो रखा है। अप्रार्थीगण को बंटवारा करवाने हेतु कहने उनके द्वारा इन्कार कर दिया। अप्रार्थी 1 से 8 एवं उनके वारिसान के द्वारा निरन्तर प्रार्थीय का धमकियां दी जारी है कि आवेदन पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित भूमि का अन्य को बेचान, हस्तान्तरण करने तथा प्रार्थीया का उसके हक हिस्से व उपयोग उपभोग से बेदखल करने पर आमांदा है। जिससे प्रार्थीया ने अपने हक हिस्से की भूमि का विधिव बंटवारा करवाने हेतु एक वाद पेष कर रखा है जो विचाराधीन है। वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को प्रार्थीया की खातेदारी सुदा हक हिस्से की भूमि में दखल नहीं करने एवं विधिवत रूप से भूमि का बंटवारा नहीं होने तक बेचान , हस्तान्तरण आदि नहीं करे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 की ओर से अधिवक्ता ने मूल वाद में वकालतनामा पेष किया शेष अप्रार्थीगण के नोटिस विधिव रूप से तामील होकर प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12,

सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर

13, 14, 16, 17, 18 के अधिवक्ता को दिनांक 05.02.2014 से लगातार समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेष नहीं करने पर दिनांक 26.07.2018 को जबाब बन्द किया गया। प्रतिवादी 21 का जबाब दिनांक 16.07.2024 कोउ बन्द किया गया। पत्रावली दिनांक 18.12.204 को बहस हेतु नियत की गई। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रालवी में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवचेन के अनुसार प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार प्रार्थीया 1/2 हिस्से की रिकार्डेड खातेदार काष्तकार है, तथा प्रार्थीय की खातेदारी सुदा भूमि अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जिसका विधिवत रूप से बंटवारा नहीं होकर संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार भी भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पर कोई एजराज या उज्र नहीं उठाया है। जिससे प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि होती है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारो को पाबन्द किया जाता है कि वाद के निर्णय तक ग्राम कांकरदा भूणाभाय के वर्तमान खाता संख्या 6 में वर्णित खसरा नम्बर 905 रकबा 0.09 हैक्टयर, 907 रकबा 0.05 हैक्टयर,, 908 रकबा 0.04 हैक्टयर की भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे।

यह आदेष आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कौर)
सहायक कलक्टर
सहायक (मु०) कलक्टर(भू.) अजमेर